



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15092020-221730
CG-DL-E-15092020-221730

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 242]	नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 15, 2020/भाद्र 24, 1942
No. 242]	NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 15, 2020/BHADRA 24, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2020

मामला सं. (ए सी) 07/2020

विषय : चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "ट्रेलर्स के लिए एक्सेल" के आयात पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की कथित प्रवंचना के संबंध में प्रवंचना-रोधी जांच की शुरूआत।

फा. सं. 4/11/2020-डीजीटीआर.—

पृष्ठभूमि

- जबकि, निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) ने अपनी दिनांक 30.09.2016 की अंतिम जांच परिणाम संबंधी अधिसूचना संख्या 14/17/2015-डीजीएडी के अनुसार एक पाटनरोधी जांच में चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "ट्रेलर्स के लिए एक्सेल" के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क को लगाए जाने की सिफारिश की थी और वित्त मंत्रालय द्वारा सीमाशुल्क अधिसूचना संख्या 54/2016-सीमाशुल्क (एडीडी) दिनांक 29.11.2016 के अनुसार निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लागू किया गया था।

प्राधिकारी को सीमा शुल्क आयुक्त (आयात), न्हावा शेवा से सूचना प्राप्त हुई है कि उपरोक्त ए.डी. शुल्क की प्रवंचना की जा रही है क्योंकि ए.डी. के अध्यधीन संबद्ध वस्तु (पीयूसी) का सीकेडी/एसकेडी के रूप में (जांचाधीन उत्पाद) आयात किया जा रहा है और तत्पश्चात उसे पीयूसी के रूप में जोड़ा जा रहा है।

प्राधिकारी, एतद्वारा समय-समय पर यथासंशोधित ए.डी. नियमावली (जिसे आगे “नियमावली” भी कहा गया है), सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण एवं क्षति के निर्धारण हेतु) नियमावली, 1995 के नियम 26 के उप नियम 3 के अनुसरण में सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना का संज्ञान लेते हैं, जिसमें कहा गया है :-

“26. प्रवंचना का निर्धारण करने के लिए जांच की शुरुआत -

(3) उप नियम (1) में अंतर्निहित किसी बात के होने के बावजूद भी, निर्दिष्ट प्राधिकारी स्व प्रेरणा से किसी जांच की शुरुआत कर सकते हैं यदि वे सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के तहत नियुक्त सीमाशुल्क आयुक्त अथवा किसी अन्य स्रोत से प्राप्त सूचना से संतुष्ट हैं कि लागू पाटन रोधी शुल्क की प्रवंचना की ओर संकेत करने वाली परिस्थितियां विद्यमान होने के पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं।”

विचाराधीन उत्पाद

2. विचाराधीन उत्पाद वही समान उत्पाद है जिसे पूर्ववर्ती जांच में परिभाषित किया गया था अर्थात् चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “ट्रेलर्स के लिए एक्सेल” (जिसे यहां पीयूसी अथवा संबद्ध वस्तु भी कहा गया है)। यह सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के सीमाशुल्क टैरिफ 87169010 के अंतर्गत आता है। चीन जन.गण. से पीयूसी के आयातों पर ए.डी. शुल्क 28.11.2021 तक लागू है।
3. संबद्ध वस्तु विभिन्न रूपांतरों में विनिर्मित और विक्रय की जाती है। तथापि, ऐसे सभी रूपांतरों की मूलभूत उत्पाद विशेषताएं तथा अंतिम प्रयोग समान रहते हैं और ट्रेलर एक्सेल के ऐसे सभी प्रकार पीयूसी के क्षेत्र में शामिल हैं क्योंकि ऐसे सभी रूपांतर अनिवार्य रूप से तुलनीय आधारभूत विशेषताओं और समान कार्य/प्रयोगों के साथ एक समरूप विचाराधीन उत्पाद स्थापित करते हैं।

विचाराधीन उत्पाद

4. यहां विचाराधीन उत्पाद “ट्रेलर एक्सेल के पुर्जों” के रूप में (जिसे यहां पी यू आई भी कहा गया है) के रूप में घोषित करने के द्वारा सी के डी (पूर्णतः खोले गए पुर्जों)/ एक्सेडी (अर्ध रूप से खोले गए पुर्जों) स्थिति में “ट्रेलर्स के लिए एक्सेल” हैं जो पीयूसी पर ए डी डी के निवारण करने के लिए चीन जन.गण. से पी यू सी के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की कथित रूप से प्रवंचना कर रहा है।

क. कथित प्रवंचना के लिए आधार

5. प्रथम दृष्टया साक्ष्य संकेत करते हैं :-
 - (i) पी यू आई द्वारा पी यू सी पर ए.डी शुल्क की प्रवंचना, इन दोनों को डी जी सी आई एस से प्राप्त आंकड़ों सहित द्वितीयक स्रोत सूचना के अनुसार पाटन किए जाने के लिए नोट किया गया है।
 - (ii) पी यू आई को पी यू सी में परिवर्तित करने के लिए नियम 25(2)(ii) में निर्धारित अवसीमा से कम का मूल्यवर्धन।
 - (iii) पी यू सी पर ए.डी. की प्रभावोत्पादकता को कम करना।

जांच की शुरुआत

6. उपर्युक्त प्रथम दृष्टया सूचना के आधार पर, जिस में ये सम्मिलित हैं :-
 - सी के डी/ एस के डी रूप में ट्रेलर्स के लिए एक्सेल के पुर्जों के रूप में ट्रेलर्स के लिए एक्सेल पर ए डी शुल्क की कथित प्रवंचना, जिन्हें पाटन के लिए नोट किया जाना है।
 - निर्धारित सीमा से निम्न मूल्यवर्धन के साथ ट्रेलर्स के लिए संपूर्ण एक्सेल हेतु पुर्जों को जोड़ना।
 - इसके द्वारा, ट्रेलर्स के लिए एक्सेल पर ए डी शुल्क के प्रभावों को निम्न करते हुए, प्राधिकारी, एतद्वारा, चीन जन.गण. से आयातों पर विद्यमान पाटनरोधी शुल्क के विस्तार पर विचार करने के लिए अधिनियम की धारा 9क (1 क) और नियमावली के नियम 25 और 26 के अनुसरण में, एक प्रवंचना रोधी जांच की शुरुआत करते हैं। प्राधिकारी ने चीन जन.गण. से पी यू आई अर्थात् ट्रेलर्स के लिए एक्सेल के एस के डी/ सी वी डी रूप में पुर्जों के सभी आयातों पर अनंतिम मूल्यांकन की सिफारिश भी की है।

जांच की अवधि (पीओआई)

7. वर्तमान जांच के लिए, जांच की अवधि (पीओआई) 1/4/2019- 31/3/2020 (12 माह) की है और क्षति अवधि में अप्रैल 2016-मार्च, 2017, अप्रैल 2017- मार्च, 2018, अप्रैल 2018- मार्च, 2019 और पीओआई की अवधियां शामिल होंगी।

प्रवंचनाकारी देश

8. प्रवंचना में शामिल देश चीन जन. गण. है।

सूचना प्रस्तुत करना

9. संबद्ध देशों में निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के जरिए संबद्ध देश की सरकार, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं तरीके से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है।
10. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे दी गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से इस जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।
11. सूचना/अनुरोध को इस पते पर भेजा जाना चाहिए :-

निर्दिष्ट प्राधिकारी**व्यापार उपचार महानिदेशालय****वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय****वाणिज्य विभाग****चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,****5 संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001**

12. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराए जाने के लिए उसका एक अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
13. कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के मद्देजर निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पतों adg11-dgtr@gov.in, और ac11-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का विवरणात्मक भाग पी डी एफ/एम एस वर्ड फॉर्मेट में खोजने योग्य हो और डाटा फाइल्स एम एस एक्सेल फॉर्मेट में हो।
14. ज्ञात निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के जरिए संबद्ध देश की सरकार, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं एवं घरेलू उद्योग को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं तरीके से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है।
15. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे दी गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से इस जांच से संगत अपने अनुरोध ऊपर बताए गए ई-मेल पतों पर प्रस्तुत कर सकता है।
16. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराए जाने के लिए उसका एक अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

समय सीमा

17. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार सूचना की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर ई-मेल पतों adg11-dgtr@gov.in, और ac11-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजी जानी चाहिए। तथापि यह नोट किया जाए कि उक्त नियम के स्पष्टीकरण के अनुसार सूचना और अन्य दस्तावेज मंगाने वाले नोटिस को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उसे भेजे जाने की तारीख या निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को दिए जाने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हुआ मान लिया जाएगा। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

18. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना देने और उपर्युक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दी जाती है।

गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

19. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) और इस संबंध में जारी व्यापार सूचनाओं के अनुसार उसका एक अगोपनीय अंश साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। इसका पालन न करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकार किया जा सकता है।
20. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों को गोपनीयता के दावे के मामले में दो अलग-अलग सैट प्रस्तुत करना अपेक्षित है। गोपनीय रूप में चिह्नित एक सैट (शीर्षक, पृष्ठ सं., सूची आदि सहित) और अगोपनीय रूप में चिह्नित दूसरा सैट (शीर्षक, पृष्ठ सं., सूची आदि सहित)।
21. "गोपनीय" या "अगोपनीय" अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
22. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसके ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।
23. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है।
24. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।
25. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।
26. प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

27. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं। सार्वजनिक फाइल को इलेक्ट्रॉनिक मोड में बनाए रखने का तरीका डीजीटीआर की वेबसाइट पर अलग से अपलोड किया जाएगा।

असहयोग

28. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

विद्युत बिहारी स्वैन, विशेष सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 15th September, 2020

CASE NO. (AC) 07/2020

Subject : Initiation of Anti-Circumvention investigation concerning alleged circumvention of Anti-dumping duty imposed on the imports of 'Axle for Trailers' originating in or exported from China PR.

F. No. 4/11/2020-DGTR.—

Background

1. WHEREAS, the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority), in an antidumping investigation, vide its Final Findings Notification No 14/17/2015-DGAD dated 30.9.2016, had recommended the imposition of anti-dumping duty on the imports of 'Axle for Trailers' originating in or exported from China PR, and the definitive anti-dumping duty was imposed by the Ministry of Finance, vide Customs Notification No. 54/2016-Customs (ADD), dated the 29.11.2016.

The Authority has received information from Commissioner of Customs (Imports), Nhava Sheva that the aforesaid AD duty is being circumvented as the subject goods (PUC) subjected to AD are being imported in CKD/SKD form (Product under investigation) and thereafter being assembled in PUC.

The Authority hereby takes cognizance of the information provided by Commissioner of Customs as per sub rule 3 of rule 26 of Customs Tariff (Identification Assessment and Collection of Anti-dumping duty on dumped articles and for determination of injury) Rules 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred as the "Rules") AD rules which reads as under;

"26. Initiation of investigation to determine circumvention. –

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), the designated authority may initiate an investigation suo motu if it is satisfied from the information received from the Commissioner of Customs appointed under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) or any other source that sufficient evidence exists as to the existence of the circumstances pointing to circumvention of anti dumping duty in force."

Products Under Consideration

2. The product under consideration is the same as defined in the earlier investigation i.e. 'Axle for Trailers' originating in or exported from China PR (hereinafter also referred to as PUC or Subject goods). It falls under Customs Tariff 87169010 of the First Schedule to the Customs Tariff Act 1975. The AD duty on imports of PUC from China PR is in force till 28.11.2021.
3. The subject goods are manufactured and sold in different variants. However, the basic product characteristics and end use of all these variants remains the same and all such types of Trailer Axles are covered in the scope of the PUC. Since all such variants essentially constitute a homogenous product under consideration with comparable basic characteristics and similar functions/uses.

Product Under Investigation

4. The Product Under Investigation is 'axle for trailers' in CKD (complete knock down)/SKD (semi knock down) condition by declaring it as 'parts of trailer axles', (hereinafter also referred to as PUI) which is allegedly circumventing the anti-dumping duty in force on imports of PUC from China PR to circumvent the ADD on PUC.

A. Grounds for Alleged Circumvention:

5. The prima facie evidence indicates;
- (i) Circumvention of AD duty on PUC by PUI, both of which are noted to be dumped as per secondary source information including data from DGCIS,
 - (ii) Value Addition of less than threshold stipulated in rule 25(2)(ii) to convert PUI to PUC, and
 - (iii) Undermining of the efficacy of AD on PUC.

Initiation

6. On the basis of the aforesaid prima facie information which includes;
- Alleged circumvention of AD duty on axle for trailers as parts of axle for trailers in CKD/SKD form which are noted to be dumped
 - Assembling of parts to full axle for trailers with a value addition below the stipulated threshold,
 - Thereby undermining the efficacy of the AD duty on axle for trailers, the Authority hereby initiates an Anti-Circumvention investigation in accordance with Section 9A (1A) of the Act and Rules 25 & 26 of the Rules to consider extension of existing anti-dumping duty on Imports from China PR. The Authority also recommends provisional assessment on all imports of the PUI i.e. parts in SKD/CVD form of Axle for Trailers from China PR.

Period of Investigation (POI):

7. The period of investigation (POI) for the present investigation is 1/4/2019 to 31/3/2020 (12 Months) and the injury period will cover the periods April 2016 - March 2017, April 2017 - March 2018, April 2018 - March 2019 and the POI.

Circumventing Country

8. The country involved in the circumvention is China PR.

Submission of Information

9. The exporters in the subject country, the Government of the subject country through its embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the product are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed within the time limit set out below.
10. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.
11. The information/submission may be submitted to:

The Designated Authority**Directorate General of Trade Remedies****Ministry of Commerce & Industry****Department of Commerce****4th Floor, Jeevan Tara Building,****5 Parliament Street New Delhi – 110001**

12. Any party making any confidential submission before the Authority is required to submit a non-confidential version of the same to be made available to the other parties.

Submission of Information

13. In view of the special circumstances arising out of COVID-19 pandemic, all communication should be sent to the Designated Authority via email at email address adg11-dgtr@gov.in and ac11-dgtr@gov.in. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/ MS Word format and data files are in MS Excel format.

14. The known exporters, their Government through their Embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.
15. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time-limit set out below on the email address mentioned above.
16. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

Time Limit

17. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses adg11-dgtr@gov.in and ac11-dgtr@gov.in within thirty days from the date of receipt of the notice as per Rule 6(4) of the Anti-Dumping Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said Rule, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have been received within one week from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.
18. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.

Submission of information on confidential basis

19. Any party making any confidential submission or providing information on confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the Rules and the Trade Notices issued in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response / submissions.
20. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file Confidential and Non-Confidential versions separately.
21. The “confidential” or “non-confidential” submissions must be clearly marked as “confidential” or “non-confidential” at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.
22. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
23. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.
24. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

25. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
26. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

Inspection of Public File

27. In terms of Rule 6(7) of the Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties. The modality of maintaining public file in electronic mode will be separately uploaded on DGTR's website.

Non-cooperation

28. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

B.B. SWAIN, Spl. Secy. & Designated Authority